

(23)

ANNE

संख्या:

/XXIV-2/2004

प्रेषक,

एस० के० माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तराँचल शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्.
शिक्षा केन्द्र - 2,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक २३ नवम्बर, 2004

विषय: के०वी०एम० पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को
सी०वी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि
के०वी०एम० पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु, अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार नो
निम्नलिखित प्रतिवन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराँचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की गांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यताप्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तराँचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

Manju Bhandari
Manager
R. P. M. Public C.L.I.

Shivam
PRINCIPAL
K.V.M. PUBLIC SCHOOL
HALDWANI
ललित
हालदानी, उत्तराँचल शासन
लीलापटी
हालदानी, उत्तराँचल शासन

- 5- रास्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं होंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना को परिवर्तन/ रांशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10- रास्था में 01 अप्रशिक्षित अध्यापक को 02 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षित कर लिया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य हो और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।
भवदीय,

(एस० के० माहेश्वरी)

अपर सचिव

संख्या: ४१० (१) XXIV-2/2004 तददिनोंका।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवृश्येक् कार्यवाही हेतु

- प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमार्य मण्डल— नैनीताल।
 3- जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
 4- प्रबन्धक, केंद्रीय पश्चिम स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल।
 5- गार्ड फाइल।

Mangal Bhandari
Manager
R. P. M. Public School

Mangal Bhandari
PRINCIPAL
K.V.M. PUBLIC SCHOOL
HILDWANI

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव